झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी

(कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की इकाई)
झारखण्ड जनजातिय कल्याण शोध संस्थान परिसर, मोराबादी, राँची।
दूरभाष / फैक्स – 0651–2552088

APD/FAO 21/1/2015

झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी के निदेशक मंडल की दिनांक 16.01.2015 को 11 बजे पूर्वाह्न में सचिव, कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस. के झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची स्थित कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

Jharkhand Tribal Development Society PMU-Ranchi Ref No.- 11777 21 JAN 2015

बैठक में उपस्थिति :–

1. डॉ. राजीव अरूण एक्का, सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰।
2. श्री श्रवण साय, आदिवासी कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग।
3. डॉ. एच. एस. गुप्ता, निदेशक, झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची।
4. श्री राहुल कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त, राँची (प्रतिनिधि उपायुक्त, राँची)।
5. श्री अंजनी कुमार, उप विकास आयुक्त, गुमला (प्रतिनिधि उपायुक्त, गुमला)।
6. श्री मंजुनाथ भजन्त्री, उप विकास आयुक्त, खूँटी (प्रतिनिधि उपायुक्त, खूँटी)।
7. श्री शशी भूषण अग्रवाल, उप निदेशक, कृषि विभाग (निदेशालय), (प्रतिनिधि कृषि निदेशक)
8. श्री प्रभात कुमार बरदियार, उप निदेशक, झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची।(निदेशक के प्रतिनिधि)
9. श्री रवि शंकर मिश्रा, जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार (प्रतिनिधि उपायुक्त, लातेहार)।
10. श्रीमती ललिता मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज (प्रतिनिधि उपायुक्त, साहेबगंज)।
11. श्रीमती दुलारी होरो, अध्यक्ष, ग्राम सभा कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, ग्राम– बेड़ा, प्रखण्ड – बुण्डु, जिला– राँची (जनजातीय सदस्य)।
12. श्रीमती अनिता देवी, अघ्यक्ष, प्रगतिशील महिला समिति (सरस्वती ग्रुप), ग्राम – लबगा, प्रखण्ड– बुण्डु, जिला–राँची। (जनजातीय सदस्य)।
13. डॉ. एच.एस. गुप्ता, राज्य परियोजना निदशक, झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, –सह– सदस्य सचिव।

निदेशक मंडल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे सचिव, कल्याण विभाग द्वारा श्रीमती दुलारी होरो एवं श्रीमती अनिता देवी से उनके गाँव में अब तक जे.टी.डी.एस. के माध्यम से क्रियान्वित किए गए विकास कार्यक्रम एवं उससे ग्रामवासियों को हुए लाभ से संबंधित जानकारी ली गई साथ हीं गाँव में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कुपोषण/एनिमिया की स्थिति, आंगनबाड़ी की स्थिति, पेयजल, शौचालय, सड़क की स्थिति, विद्युत व्यवस्था, कृषि, नरेगा के अर्न्तगत किए जा रहे कार्यो, गाँव में नशा–पान की स्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई एवं JTELP के तहत् किये कार्यो को सराहा गया –

सचिव –सह– अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि –

- JTELP के अर्न्तगत आच्छादित ग्रामों में Convergence के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
- कृषि विभाग के सहयोग से कार्यक्रम गाँवों में Cash Crop यथा अदरख, हल्दी एवं टुपुका इत्यादि की खेती को बढ़ावा दिया जाय।
- TND नस्ल के सुकर पालन को बढ़ावा दिया जाय।

- Khakhi Kampbell नस्ल के बत्तख पालन को बढ़ावा दिया जाय एवं इस हेतु कृषको/लाभूकों को रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र से भी एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का परिभ्रमण (Exposure) भी कराया जाए।
- गाँव से अपनी भाषा में पत्रिका निकालने हेतु पहल की जाय।
- MGNREGA के माध्यम से प्रत्येक गाँव में कम से कम चार काम हेतु योजना बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम सभा पहल करते हुए तथा आम सभा से पारित योजना संबंधित उपायुक्त को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।
- कम उम्र में लड़कियों के शादी न करने हेतु गाँव में जागरूकता के माध्यम से लोगों को जानकारी पहुँचाया जाय।
- हड़िया–दारू/शराब बन्दी हेतु लोगों को जागरूक किया जाय।

तदोपरान्त अध्यक्ष की अनुमति के बाद राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे॰टी॰डी॰एस॰ द्वारा विगत आहुत बैठक (दिनांक 04.01.2014) में निदेशक मंडल द्वारा निदेशित बिन्दुओं पर बिन्दुवार अनुपालन एवं सम्पुष्टि पर जानकारी प्रदान की गई। निदेशक मंडल द्वारा विगत बैठक में निदेशित सभी बिन्दुओं के अनुपालन पर सराहना एवं संतोष व्यक्त करते हुए सम्पुष्ट किया गया साथ ही कुछ बिन्दुओं पर आवश्यक सुझाव दिया गया कि :–

- कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम ग्रामों में अरहर, चना एवं बादाम इत्यादि की उन्नत खेती हेतु जे.टी.डी.एस. को सहयोग प्रदान किया जाए। कृषि विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि कृषि विभाग उन्नत कृषि अर्न्तगत Demonstration (प्रदर्शन) हेतु प्रत्येक गाँव के पाँच–पाँच किसान को बीज एवं प्रशिक्षण प्रदान कराएगी।
- सचिव, कल्याण विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि जे.टी.डी.एस. कार्यक्रम ग्रामों के Stakeholders के साथ बैठक आयोजित करा कर demand create कराने हेतु कारवाई किया जाए।

<u>प्रस्ताव संख्या : 01</u>

प्रगति प्रतिवेदन – अक्टूबर '2013 से दिसम्बर '2014 तक।(वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान JTELP के अंतर्गत प्राप्त राशि से किए गए कार्यो से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन।)

<u>पारित प्रस्ताव संख्या : 01</u>

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान JTELP अर्न्तगत सरकार द्वारा जे. टी.डी.एस. को प्रदत SCA to TSP एवं Article 275 (i) मद से निर्गत राशि से क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा आय सृजन, भूमि एवं जल प्रबंधन, सिंचाई कृषि एवं पशुधन विकास की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में और ज्यादा ग्रामों में योजनाओं के क्रियान्वयन का सुझाव दिया गया।

- University of Copenhagen(UoC) एवं जे.टी.डी.एस. के बीच research collaboration हेतु सहयोग हेतु प्रस्ताव को अनुमति दी गई तथा पुनः University of Copenhagen से अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित किए जाने का निदेश दिया गया।
- खुँटी जिला में डी.पी.एम.यू. संचालन हेतु नए Composite Collectorate Building में कमरा उपलब्ध कराने हेतु, सचिव, कल्याण विभाग द्वारा उपस्थित उप विकास आयुक्त से पृच्छा की गई, जिस पर उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि भवन में बिजली का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य पूर्ण होने पर कमरा आवंटन कर दिया जाएगा।

20.1.15

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 02

वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का Revision/Re-appropriation का अनुमोदन।

पारित प्रस्ताव संख्या : 02

वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट 2013–14 (अक्टूबर'13 से मार्च'14) एवं वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट 2014–15 के Revision/Re-appropriation के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा की गई एवं उपलब्धि की सराहना की गई तदोपरान्त सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 03

वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव पर अनुमोदन।

पारित प्रस्ताव संख्या : 03

वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट 2015–16 के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 04

JTELP के तहत समायोजित, वैसे सभी पुराने स्टॉफ जिनका वेतन 04.03.2014 को नये वेतन मान से कम है – उन्हें Difference राशि का Protection हेतु सहमति एवं इस हेतु मानक तय करना यथा, जो अगले एक वर्ष तक (अत्यन्त अच्छा)/(अच्छा)/(सामान्य) कार्य करते हैं तो उन्हें क्रमशः 100%/75% तथा 50% तक वेतन difference का protection दिया जाय।

पारित प्रस्ताव संख्या : 04

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस विषय पर सचिव, कल्याण –सह– अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस. विचार करेगें एवं उन्हें एक "समिति" गठित कर मंतव्य प्राप्त कर अग्रेत्तर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 05

झारखण्ड ट्राईबल इम्पावरमेन्ट एण्ड लाईवलीहूड प्रोजेक्ट (JTELP) अर्न्तगत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर मानव संसाधन चयन से संबंधित सूची पर अनुमोदन।

शेष NRMO के पद पर नियुक्ति के लिये निदेशक मंडल का अनुमोदन अपेक्षित है, ताकि पुनः नियुक्ति प्रक्रिया में इस पद पर Fresher, पास हुये डिग्रीधारी कर्मी को भी नियुक्त किये जा सके।

पारित प्रस्ताव संख्या : 05

JTELP अर्न्तगत स्वीकृति एवं रिक्त मानव संसाधन/बल (13 विभिन्न पदों हेतु) के चयनित मानव बल की सूची पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान किया गया।

शेष NRMO के पद पर शीघ्र नियुक्ति के लिये प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 06

झारखण्ड ट्राईबल इम्पावरमेन्ट एण्ड लाईवलीहूड प्रोजेक्ट (JTELP) अर्न्तगत Field NGO (FNGO) के चयन से संबंधित सूची पर अनुमोदन।

पारित प्रस्ताव संख्या : 06

JTELP अर्न्तगत तीस प्रखण्डों हेतु चयनित FNGO की सूची पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान किया गया।

20.1.15

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 07

झारखण्ड ट्राईबल इम्पावरमेन्ट एण्ड लाईवलीहूड प्रोजेक्ट (JTELP)अर्न्तगत Technical Support Agency (TSA) के चयन से संबंधित सूची पर अनुमोदन एवं अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश प्राप्त करना।

पारित प्रस्ताव संख्या : 07

JTELP अर्न्तगत तीन क्षेत्रों यथा Northern, Southern एवं Western Region हेतु TSA के चयन से संबंधित सूची पर सर्व सम्मति से निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। साथ ही JTELP परियोजना Design एवं Project Implementation Manual अनुसार देय राशि में तीनों चयनित TSA को देय राशि में एकरूपता हो इस हेतु तीनों TSA से Negotiation करने का निदेश दिया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 08

JTELP के तहत वर्ष 2014–15 का Procurement Plan का अनुमोदन।

पारित प्रस्ताव संख्या : 08

JTELP के तहत् वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु तैयार किए गए Procurement Plan को निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से Plan को स्वीकृति प्रदान किया गया; साथ ही DGS&D दर पर उपलब्ध उपकरण/उपस्कर को यथाशीघ्र क्रय करने हेतु सुझाव दिया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 09

(i) JTELP के अर्न्तगत SCA to TSP योजना से कल्याण विभाग द्वारा JTDS को प्राप्त राशि (रू.11.96 करोड़) के विरूद्ध समर्पित योजना प्रस्ताव पर अनुमोदन।

(ii) कल्याण विभाग से JTELP अर्न्तगत SCA to TSP योजना मद से जे.टी.डी.एस. को प्राप्त

(a) Integrated Natural Resource Management (Component-II/ Sub component – Land and Water Resource Development) एवं Component-III/ के अर्न्तगत कुल 7.30 करोड़(सात करोड़ तीस लाख) की राशि जिसमें 6.09 करोड़ water harvesting irrigation and land development scheme हेतु तथा 1.21 करोड़ Package for improved agriculture with rain water harvesting हेतु अनुमोदन।

(b) 8.96 करोड़ की राशि से JTELP अर्न्तगत Sub component- Support for Income Generating Activities (Support to other IGA) के अर्न्तगत पुराने एवं नए परियोजना ग्रामों में योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन।

(iii) कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जे.टी.डी.एस. को सुकर पालन, बकरी पालन एवं मुर्गी पालन से संबंधित आय वृद्धि गतिविधियों को JTELP अर्न्तगत कार्यक्रम ग्रामों के आदिवासी लाभूकों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु क्रमश : 1.47 करोड़ (सुकर पालन हेतु) 87.28 लाख (बकरी पालन हेतु) एवं 67.04 लाख(मुर्गी पालन हेतु) की राशि उपलब्ध कराई गई, जिसके अनुपालन में जे.टी.डी.एस. द्वारा उपरोक्त गतिविधियों का क्रियान्वयन JTELP अर्न्तगत आच्छादित पुराने कार्यक्रम ग्रामों में तत्काल किया जा रहा है।

पारित प्रस्ताव संख्या : 09

निदेशक मंडल द्वारा जे.टी.डी.एस. को JTELP अर्न्तगत सरकार द्वारा सभी SCA to TSP मद एवं Article 275 (i) से प्रदत्त राशि से किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

20.1.15

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 10

सरकार द्वारा JTELP के तहत Art 275(1) के अन्तर्गत राशि 69.7 लाख दी गई है। इसके तहत 80+ ग्रामों; रोजगार पुरक ग्रामीण सोलर ज्योति योजना तैयार की गई है। इसके तहत 80+ महिला/युवा समूहों को रोजगार सीधे मिलेगा एवं 4000 घरों में रात्रि में प्रदूषण रहित – सुविधाजनक रात्रि ज्योति की सुविधा मिलेगी। इस पर अनुमति अपेक्षित है।

पारित प्रस्ताव संख्या : 10

जे.टी.डी.एस. को राज्य सरकार द्वारा Article 275 (i) मद से JTELP अर्न्तगत ग्रामीण सोलर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त राशि के क्रियान्वयन हेतु समर्पित योजना प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 11

(i)JTELP क्रियान्वयन हेतु 14 TSP जिलों के अर्न्तगत चिन्हित प्रखण्डों पर अनुमोदन एवं NRLM/IWMP/Other Schemes से Overlapping वाले प्रखण्डों के स्थान पर दूसरे प्रखण्ड के चयन के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन।

(ii)NRLM/IWMP/Other Schemes से overlapping वाले प्रखण्डों के स्थान पर नए प्रखण्डों के चयन सूची अनुसार चयनित FNGO को कार्य आवंटित करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव संख्या : 11

(i) JTELP क्रियान्वयन हेतु 14 TSP जिलों के चिन्हित प्रखण्डों में से जहाँ NRLM/IWMP एवं अन्य योजनाएँ संचालित हो रही हों और जहाँ Overlapping हो रहा है अथवा अन्य कारणों से वैसे प्रखण्डों के स्थान पर नए प्रखण्डों को लिए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मंडल ने चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

(ii) (ii) NRLM/IWMP / अन्य योजनाओं के Overlapping अथवा अन्य कारणों से बदले गए नए प्रखण्डों के चयन सूची अनुसार एवं चिन्हित प्रखण्डों से संबंधित चयनित वही FNGO से सहमति प्राप्त कर बदले गए/नव चयनित प्रखण्ड के कार्य आवंटित करने से संबंधित प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 12

JTELP/ICRISAT के तहत देश से बाहर यात्रा हेतु; अनुमति की सरलीकृति प्रक्रिया का अनुमोदन; जिसके तहत राज्य के मुख्य सचिव से अनुमति प्राप्त कर यात्रा की जा सके।

पारित प्रस्ताव संख्या : 12

प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 13

JTELP अंतर्गत 14 जिला परियोजना प्रबंधन इकाईयों एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के भवन की रंग रोगन सामान्य मरम्मती, पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था एवं पार्टीशन इत्यादि हेतु कार्यालय संचालन के लिए कर्णांकित/बजटीय प्रावधानित मद से 60,000/– (साठ हजार रूपये) मात्र प्रति इकाई/ (1,000 USD प्रति इकाई) तक व्यय करने हेतु अनुमोदन।

पारित प्रस्ताव संख्या : 13

निदेशक मंडल द्वारा JTELP अर्न्तगत जे.टी.डी.एस. के SPMU एवं DPMU's के भवन के रंग–रोगन, सामान्य मरम्मति, पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था एवं पार्टीशन इत्यादि कार्य कराने हेतु वित्तीय प्रावधान संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया। साथ ही ये सुझाव दिया गया कि यथाशीघ्र कार्य सम्पादित करा लिया जाए।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 14

अपर परियोजना निदेशक को आकस्मिक एवं प्रशासनिक कार्यो हेतु वित्तीय शक्ति प्रदान करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव संख्या : 14

अपर परियोजना निदेशक को आकस्मिक एवं प्रशासनिक कार्यो हेतु एक मुश्त/एक बार में रू.25,000/–(पचीस हजार रूपये) मात्र तक के निकासी की वित्तीय शक्ति (संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालन के माध्यम से) प्रदान करने के प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 15

राज्य परियोजना निदेशक को Edinburg, Scotland में होने वाले World Water Congress में भाग लेने हेतु अनुमति के संबंध मे।

पारित प्रस्ताव संख्या : 15

राज्य परियोजना निदेशक को Edinburg, Scotland में होने वाले World Water Congress में भाग लेने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 16

JTDS के कर्मियों जिनकी सेवा समाप्त की गई – पर अनुमोदन।

पारित प्रस्ताव संख्या : 16

जे.टी.डी.एस. के कर्मियों जिनकी सेवा समाप्त की गई (यथा श्री भुपाल चन्द्र महतो, श्री बबलू कुमार एवं श्री बानु पाहन) की सेवा समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 17

JTELP में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृति की आयु का सीमा निर्धारण 60वर्ष करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव संख्या : 17

JTELP में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयू का सीमा निर्धारण 60 वर्ष करने एवं तदोपरान्त अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य करने से संबंधित/प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 18

जे.टी.डी.एस. में कार्यरत कर्मियों द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं Stakeholders के साथ समन्वय स्थापित करने तथा कार्यालय कार्य हेतु मोबाईल फोन के इस्तेमाल के विरूद्ध प्रतिपूर्ति के संबंध में।

पारित प्रस्ताव संख्या : 18

जे.टी.डी.एस. में कार्यरत कर्मियों द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं Stakeholders के साथ समन्वय स्थापित करने तथा कार्यालय कार्य हेतु मोबाईल फोन के इस्तेमाल के विरूद्ध प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली/ प्रस्ताव संख्या : 19

अन्य बिन्दु अध्यक्ष की सहमति से।

1. साहेबगंज जिला में JTELP के क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) के स्थापना हेतु उपायुक्त, साहेबगंज से कमरा/स्थान आवंटन हेतु अनुरोध किया जा सकता है। प्रस्ताव है कि कमरा/स्थान नहीं होने तक भाड़ा का मकान लेकर DPMU का संचालन किया जा सकता है।

पारित प्रस्ताव- प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया

2. जे.टी.डी.एस., SPMU में जल आपूर्ति हेतु JTWRI परिसर स्थित बोरिंग में नया पम्प लगाना एवं पाईप की मरम्मति/बदलाव आवश्यक है। इस कार्य हेतु लगभग तीस पैंतीस हजार का खर्च आने की संभावना है जिसे JTELP के Office operating हेतु प्रावधानित मद से पुरा किया जा सकता है। बोरिंग में नया सवमरसिवल पम्प एवं पाईप मरम्मति/बदलने हेतु निदेशक मंडल अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करना चाहेगी।

पारित प्रस्ताव- प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

3. जे.टी.डी.एस./JTELP में Procurement से संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में कार्यरत एक सक्षम पदाधिकारी नामित किया जाए।

   प्रस्ताव है कि अपर परियोजना निदेशक को उनके कार्यानुभव, शैक्षणिक योग्यता एवं वरियता के आधार पर Procurement से संबंधित कार्य सम्पादित करने हेतु नामित किया जाए। अपर परियोजना निदेशक उपरोक्त कार्य हेतु यथा RFP,ToR, Bid Document, Procurement Document/Plan इत्यादि तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार FAM के अलावा SPMU के अन्य किसी भी संबंधित पदाधिकारी से सेवा एवं सहयोग प्राप्त कर कार्य सम्पादित करेगें।

पारित प्रस्ताव- प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

(डॉ. एच.एस. गुप्ता)
सदस्य सचिव
—सह—
राज्य परियोजना निदेशक,
जे.टी.डी.एस.

20.1.15
(डॉ. राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव, कल्याण विभाग
—सह—
अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस

ज्ञापांक 07/ईफाड–10/12-176 राँची, दिनांक 21-01-15

प्रतिलिपि : सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.1.15
(डॉ. राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव, कल्याण विभाग
—सह—
अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस